उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड,
ट्रांसपोर्ट नगर, नियर खाद्य गोदाम, देहरादून।
ई–मेल- legalmetuk@gmail.com दूरभाष नं0- 0135-2741926

पत्रांक 369 / नि0वि0मा0वि0 / प्रवर्तन नियमावली संशोधन / 2025–26 दिनांक 11/08/ 2025

सेवा में,

अपर आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय– उत्तराखण्ड विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2025 की सूचना वेबसाइट में प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि शासन के पत्र संख्या 379/XIX-1/25-83/2014, दिनांक 06 अगस्त, 2025 द्वारा उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2025 (छायाप्रति संलग्न) की अधिसूचना के हिंदी और अंग्रेजी आलेख्य को विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित करने तथा व्यापक संचरण वाले किन्हीं दो समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि विभाग की वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त अधिसूचना को खाद्य विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शित करने की कृपा करें ताकि उक्त लिंक सर्वसाधारण को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रूचि मोहन रयाल),
नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखंड, देहरादून।

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(रूचि मोहन रयाल),
नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखंड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1
संख्या–379 /XIX-1/25–83/2014
देहरादूनःदिनांक 06 अगस्त, 2025

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2025 (प्रति संलग्न) को यथा प्रक्रिया अग्रेत्तर प्रख्यापित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में, जिन व्यक्तियों का प्रभावित होना संभाव्य है, द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, 248001 को प्रेषित किये जा सकते हैं।

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 379 /XIX-1/25–83/2014 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा व्यापक संचरण वाले किन्ही दो समाचार पत्रों में भी सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 25 प्रतियां खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,
06/8/25
(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1
संख्या–379 /XIX-1/25–83खाद्य/2014
देहरादून : दिनांक 06 अगस्त, 2025

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 की उपधारा (4) में राज्य सरकार को राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की शर्तों के अधीन नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधन नियमावली के प्रारूप को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित करते हैं;

राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले हितधारी एवं जनसाधारण द्वारा इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, 248001 को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात् किसी भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनंतिम अधिसूचना

उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2025 का प्रारूप

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अनुसूची चार, छः तथा नौ का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में अनुसूची चार, छः तथा नौ में स्तम्भ–01 में दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:–

अनुसूची–चार
[नियम11(4)और (5) देखिये]

बाटों और मापों के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं तथा व्यवहारियों के लिए लाइसेंस जारी करने एवं लाइसेंस नवीकरण शुल्कः–

(1)लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस नवीकरण के लिएः

विवरण	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	शुल्क(₹)	शुल्क(₹)
विनिर्माता	500.00 प्रति वर्ष	10000.00 प्रति वर्ष
मरम्मतकर्ता	100.00 प्रति वर्ष	5000.00 प्रति वर्ष

व्यवहारी	100.00 प्रति वर्ष	3000.00 प्रति वर्ष

(2)लाइसेंस में संशोधनः

विवरण	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	शुल्क(₹)	शुल्क(₹)
विनिर्माता	250.00 प्रति वर्ष	500.00 प्रति वर्ष
मरम्मतकर्ता	50.00 प्रति वर्ष	500.00 प्रति वर्ष
व्यवहारी	50.00 प्रति वर्ष	500.00 प्रति वर्ष

(3)लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लियेः

विवरण	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	शुल्क(₹)	शुल्क(₹)
विनिर्माता	250.00 प्रति वर्ष	500.00 प्रति वर्ष
मरम्मतकर्ता	50.00 प्रति वर्ष	200.00 प्रति वर्ष
व्यवहारी	50.00 प्रति वर्ष	500.00 प्रति वर्ष

अनुसूची–छः
[नियम11 (8) देखिये)]

लाइसेंस प्राप्त मरम्मतकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप।

बाटों और मापों के, अंतर्गत तौल और माप के उपकरण भी हैं, के मरम्मतकर्ता

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
शुल्क(₹)	शुल्क(₹)
2000.00	10000.00

अनुसूची–नौ
[नियम 17 देखिये]

बाटों, मापों, तौल और माप के उपकरण के सत्यापन और मुद्रांकण के लिये देय शुल्क–

1–(क) बुलियन बाटः

अंकित मान	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	प्रति बाट शुल्क (₹)	प्रति बाट शुल्क(₹)
10 कि0ग्रा0	30.00	100.00
5 कि0ग्रा0	20.00	50.00

2 कि०ग्रा०	20.00	50.00
1 कि०ग्रा०	20.00	50.00
500 ग्रा०	15.00	40.00
200ग्रा०	15.00	40.00
100ग्रा०	15.00	40.00
50 ग्रा०	15.00	40.00
20ग्रा०	15.00	40.00
10 ग्रा०	15.00	40.00
5 ग्रा०	15.00	40.00
2 ग्रा०	15.00	40.00
1 ग्रा०	15.00	40.00

(ख) कैरेट बाट:

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
अंकित मान	प्रति बाट शुल्क (₹)	प्रति बाट शुल्क(₹)
100ग्रा० (500 कैरेट)	20.00	50.00
40ग्रा० (200कैरेट)	20.00	50.00
20ग्रा० (100कैरेट)	20.00	50.00
10ग्रा० (50कैरेट)	20.00	50.00
4ग्रा० (20कैरेट)	20.00	50.00
2ग्रा० (10कैरेट)	20.00	50.00
1ग्रा० (5 कैरेट)	20.00	50.00
400मि०ग्रा० (2 कैरेट)	20.00	50.00
200मि०ग्रा० (1 कैरेट)	20.00	50.00
100मि०ग्रा० (0.5कैरेट)	20.00	50.00
40मि०ग्रा०(0.2 कैरेट)	20.00	50.00
20मि०ग्रा० (0.1 कैरेट)	20.00	50.00
10मि०ग्रा० (0.05 कैरेट)	20.00	50.00
4मि०ग्रा० (0.02 कैरेट)	20.00	50.00

2मि0ग्रा0 (0.01 कैरेट)	20.00	50.00
1मि0ग्रा0 (0.005कैरेट)	20.00	50.00

(ग) सिलिन्ड्रीकल नॉब टाइप बाट::

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति बाट शुल्क (₹)	प्रति बाट शुल्क(₹)
10 कि0ग्रा0	20.00	50.00
5 कि0ग्रा0	20.00	50.00
2 कि0ग्रा0	15.00	40.00
1 कि0ग्रा0	10.00	30.00
500 ग्रा0	5.00	15.00
200ग्रा0	5.00	15.00
100 ग्रा0	5.00	15.00
50 ग्रा0	5.00	15.00
20ग्रा0	5.00	15.00
10 ग्रा0	5.00	15.00
5 ग्रा0	5.00	15.00
2 ग्रा0	5.00	15.00
1 ग्रा0	5.00	15.00

(घ) चादरी धातु बाट (बुलियन से भिन्न):

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति बाट शुल्क (₹)	प्रति बाट शुल्क(₹)
500 मि0ग्रा0	5.00	15.00
200 मि0ग्रा0	5.00	15.00
100मि0ग्रा0	5.00	15.00
50मि0ग्रा0	5.00	15.00
20 मि0ग्रा0	5.00	15.00
10मि0ग्रा0	5.00	15.00
5 मि0ग्रा0	5.00	15.00
2 मि0ग्रा0	5.00	15.00
1 मि0ग्रा0	5.00	15.00

(ङ) हेक्सागोनल, नॉब टाइप और पैरेलेलोपाइपिड लौह बाट:

अंकित मान	स्तम्भ–1 प्रति बाट शुल्क (₹)	स्तम्भ–2 प्रति बाट शुल्क(₹)
50 कि0ग्रा0	25.00	60.00
20 कि0ग्रा0	20.00	50.00
10 कि0ग्रा0	20.00	50.00
5 कि0ग्रा0	20.00	50.00
2 कि0ग्रा0	15.00	40.00
1 कि0ग्रा0	10.00	30.00
500 ग्रा0	5.00	15.00
200 ग्रा0	5.00	15.00
100ग्रा0	5.00	15.00
50 ग्रा0	5.00	15.00
20ग्रा0	5.00	15.00
10 ग्रा0	5.00	15.00
5 ग्रा0	5.00	15.00
2 ग्रा0	5.00	15.00
1ग्रा0	5.00	15.00

(च) उच्च क्षमता के तौल यंत्रों की जाँच के लिए मानक बाट :

अंकित मान	स्तम्भ–1 अधिकतम क्षम्य सापेक्ष त्रुटि **0.5/10000** के समतुल्य शुल्क(₹) में	स्तम्भ–2 शुल्क (₹ में)	स्तम्भ–1 अधिकतम क्षम्य सापेक्ष त्रुटि **3.3/10000, 1.7/10000** और **1.0/10000** के समतुल्य शुल्क₹ में	स्तम्भ–2 शुल्क (₹ में)
100 कि0ग्रा0	75.00	150.00	50.00	100.00
200 कि0ग्रा0	150.00	300.00	100.00	200.00
500 कि0ग्रा0	300.00	600.00	200.00	400.00
1000 कि0ग्रा0	750.00	1500.00	500.00	1000.00
2000 कि0ग्रा0	1500.00	3000.00	1000.00	2000.00
5000 कि0ग्रा0	3000.00	5000.00	2000.00	4000.00

2–क्षमता माप :

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
100लीटर और इससे अधिक	प्रथम 100 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 50.00 तथा प्रत्येक	प्रथम 100 लीटर या उसके भाग के लिए ₹ 100.00 तथा प्रत्येक अतिरिक्त

	अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए ₹ 7.00 किन्तु अधिकतम ₹ 5000.00	100 लीटर या उसके भाग के लिए ₹ 12.00 किन्तु अधिकतम ₹ 5000.00
50 लीटर	50.00	100.00
20 लीटर	20.00	50.00
10 लीटर	20.00	50.00
5 लीटर	10.00	20.00
2 लीटर	10.00	20.00
1 लीटर	10.00	20.00
500 मि0ली0	10.00	20.00
200 मि0ली0	10.00	20.00
100 मि0ली0	10.00	20.00
50 मि0ली0	10.00	20.00
20 मि0ली0	10.00	20.00
10 मि0ली0	10.00	20.00
5 मि0ली0	10.00	20.00
2 मि0ली0	10.00	20.00
1 मि0ली0	10.00	20.00

3–लम्बाई माप :

(क) अनम्य–

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति लम्बाई माप शुल्क (₹)	प्रति लम्बाई माप शुल्क (₹)
2 मीटर	10.00	30.00
1 मीटर	10.00	30.00
0.5मीटर	20.00	50.00
1.00 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर ग्रेजुएटेड)	20.00	50.00
0.50 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर ग्रेजुएटेड)	20.00	50.00

(ख) प्लास्टिक का बना/बुना हुआ/ स्टील फीता :

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
यथार्थता वर्ग	प्रति मीटर शुल्क (₹)	प्रति मीटर शुल्क (₹)

वर्ग-I	1.00	3.00
वर्ग-II	2.00	4.00
वर्ग-III	0.50	2.00

(ग) फोल्डिंग स्केल :

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति लम्बाई माप शुल्क (₹)	प्रति लम्बाई माप शुल्क (₹)
1 मीटर	10.00	40.00
0.5 मीटर	10.00	40.00

(घ) सर्वेक्षण चेन :

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति लम्बाई माप शुल्क (₹)	प्रति लम्बाई माप शुल्क (₹)
30 मीटर	100.00	500.00
20 मीटर	100.00	500.00

4– बीम स्केल वर्ग क और वर्ग ख :

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति बीम स्केल शुल्क (₹)	प्रति बीम स्केल शुल्क (₹)
200 कि0ग्रा0	400.00	1000.00
100 कि0ग्रा0	300.00	800.00
50 कि0ग्रा0	150.00	400.00
20 कि0ग्रा0	150.00	400.00
10 कि0ग्रा0	150.00	400.00
5 कि0ग्रा0	100.00	300.00
2 कि0ग्रा0	100.00	300.00
1 कि0ग्रा0	100.00	300.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00	200.00

5–बीम स्केल वर्ग ग और वर्ग घ :

अंकित मान	स्तम्भ–1 प्रति बीम स्केल शुल्क (₹)	स्तम्भ–2 प्रति बीम स्केल शुल्क (₹)
1000 कि0ग्रा0	200.00	500.00
500 कि0ग्रा0	200.00	500.00
300 कि0ग्रा0	200.00	500.00
200 कि0ग्रा0	100.00	300.00
100 कि0ग्रा0	100.00	300.00
50 कि0ग्रा0	20.00	50.00
20 कि0ग्रा0	20.00	50.00
10 कि0ग्रा0	20.00	50.00
5 कि0ग्रा0	15.00	40.00
2 कि0ग्रा0	15.00	40.00
1 कि0ग्रा0	15.00	40.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00	40.00

6–गैर –स्वचालित तौल उपकरण–यांत्रिक (एनालोग) वर्ग III और IV:

अंकित मान	स्तम्भ–1 प्रति तौल उपकरण शुल्क (₹)	स्तम्भ–2 प्रति तौल उपकरण शुल्क (₹)
400 टन	4000.00	5000.00
300 टन	3000.00	5000.00
200 टन	3000.00	5000.00
150 टन	2000.00	4000.00
100 टन	2000.00	4000.00
80 टन	2000.00	4000.00
60 टन	2000.00	4000.00
50 टन	2000.00	4000.00
40 टन	2000.00	4000.00
30 टन	2000.00	4000.00
25 टन	2000.00	4000.00
20 टन	2000.00	4000.00
15 टन	2000.00	4000.00
10 टन	1000.00	2000.00
5 टन	500.00	1500.00
3 टन	400.00	1500.00
2 टन	400.00	1500.00
1500 कि0ग्रा0	300.00	1000.00

1000 कि0ग्रा0	300.00	1000.00
500 कि0ग्रा0	300.00	800.00
300 कि0ग्रा0	200.00	500.00
250 कि0ग्रा0	200.00	500.00
200 कि0ग्रा0	100.00	300.00
150 कि0ग्रा0	100.00	300.00
100 कि0ग्रा0	100.00	300.00
50 कि0ग्रा0	100.00	300.00
30 कि0ग्रा0	100.00	300.00
25 कि0ग्रा0	60.00	200.00
20 कि0ग्रा0	60.00	200.00
15 कि0ग्रा0	30.00	100.00
10 कि0ग्रा0	30.00	100.00
5 कि0ग्रा0	30.00	100.00
3 कि0ग्रा0	30.00	100.00
2 कि0ग्रा0	30.00	100.00
1 कि0ग्रा0	25.00	50.00
500 ग्राम और उससे कम	15.00	50.00

7–गैर–स्वचालित तौल उपकरण–इलैक्ट्रानिक वर्ग III और वर्ग IV:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अंकित मान	प्रति तौल उपकरण शुल्क (₹)	प्रति तौल उपकरण शुल्क (₹)
400 टन	4000.00	5000.00
300 टन	3000.00	5000.00
200 टन	3000.00	5000.00
150 टन	2000.00	5000.00
100 टन	2000.00	5000.00
80 टन	2000.00	5000.00
60 टन	2000.00	5000.00
50 टन	2000.00	5000.00
40 टन	2000.00	5000.00
30 टन	2000.00	5000.00
25 टन	2000.00	5000.00
20 टन	2000.00	5000.00
15 टन	2000.00	5000.00
10 टन	1000.00	3000.00
5 टन	1000.00	3000.00

3 टन	500.00	3000.00
2 टन	500.00	3000.00
1500 कि0ग्रा0	250.00	3000.00
1000 कि0ग्रा0	250.00	3000.00
500 कि0ग्रा0	250.00	800.00
300 कि0ग्रा0	200.00	500.00
250 कि0ग्रा0	200.00	500.00
200 कि0ग्रा0	200.00	500.00
150 कि0ग्रा0	200.00	500.00
100 कि0ग्रा0	200.00	500.00
50 कि0ग्रा0	200.00	500.00
30 कि0ग्रा0	200.00	300.00
25 कि0ग्रा0	200.00	300.00
20 कि0ग्रा0	100.00	300.00
15 कि0ग्रा0	100.00	200.00
10 कि0ग्रा0	100.00	200.00
5 कि0ग्रा0	100.00	200.00
3 कि0ग्रा0	100.00	200.00
2 कि0ग्रा0	100.00	200.00
1 कि0ग्रा0	100.00	200.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00	200.00

8- (i) गैर–स्वचालित तौल उपकरण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों, वर्ग I और II वर्ग:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
क्षमता	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
50 टन से अधिक	3000.00	5000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.0	5000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00	3000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि0ग्रा0 से अधिक	500.00	1000.00
50 कि0ग्रा0 से अनधिक किन्तु 10 कि0ग्रा0 से अधिक	250.00	500.00
10 कि0ग्रा0 से अनधिक	200.00	500.00

8–(ii) स्वचालित तौल उपकरण:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2

क्षमता	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
100 टन से अधिक	4000.00	5000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00	4000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00	3000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00	2000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि0ग्रा0 से अधिक	500.00	1000.00
50 कि0ग्रा0 से अनधिक किन्तु 10 कि0ग्रा0 से अधिक	250.00	500.00
10 कि0ग्रा0 से अनधिक	200.00	500.00

9- आयतन मापक उपकरण:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रकार	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
(क) डिस्पेन्सिग पम्प प्रति पम्प	1000.00 प्रति इकाई	2000.00 प्रति इकाई
(ख) योगकरण काउन्टर	500.00 प्रति इकाई	1000.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरण

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
क्षमता	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
100 लीटर से अधिक	प्रथम 100 लीटर के लिए रु0 500.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 250.00	प्रथम 100 लीटर के लिए रु0 750.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 300.00
100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक	500.00	750.00
50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक	250.00	600.00
20 लीटर से अनधिक	200.00	500.00

10- फ्लोमीटर:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
क्षमता	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
फ्लोरेट 100 लीटर/मिनट तक	2000.00	4000.00

फ्लोरेट 100 लीटर/मिनट से अधिक	3000.00	5000.00
फ्लोरेट 500 लीटर/मिनट से अधिक	5000.00	5000.00

11- रेखीय मापक उपकरण:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रकार	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
टैक्सी मीटर, ऑटोरिक्सा मीटर	100.00	500.00
अन्य मीटर	प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए रु0 50.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 मीटर या उसके भाग के लिए रु0 5.00	प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए रु0 75.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 मीटर या उसके भाग के लिए रु0 5.00

12- डॉक्टरी थर्मामीटर:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रकार	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
डॉक्टरी थर्मामीटर	0.50 प्रति इकाई	5.00 प्रति इकाई

13- पानी का मीटर :

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रकार	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
पानी का मीटर	25.00 प्रति इकाई	50.00 प्रति इकाई

14- पेग मापक:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
क्षमता	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
30 मि0ली0	50.00	100.00
60 मि0ली0	50.00	100.00
100 मि0ली0	50.00	100.00

15- सी0एन0जी0 डिस्पेन्सर

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रकार	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
सी0एन0जी0 डिस्पेन्सर	1000.00 प्रति इकाई	2000.00 प्रति इकाई

16- एल0पी0जी0 डिस्पेन्सर:

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रकार	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
एल0पी0जी0 डिस्पेन्सर:	1000.00 प्रति इकाई	2000.00 प्रति इकाई

17- काउंटर मशीनः

क्षमता	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	शुल्क (₹)	शुल्क(₹)
10 कि0ग्रा0 तक	20.00 प्रति इकाई	100.00 प्रति इकाई
10 कि0ग्रा0 से अधिक	50.00 प्रति इकाई	200.00 प्रति इकाई

आज्ञा से,

06/8/25

(एल0 फैनई)

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. / XIX-1/25-83Food/2014 dated- August, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Section-1
No.379 /XIX-1/25-83Food/2014
Dehradun:Dated 06 August, 2025

NOTIFICATION

Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient to do so;

And Whereas, powers to make rules under the conditions of prepublication is vested in State Government under subsection (4) of section 53 the Legal Metrology Act, 2009;

Therefore, the Governor is pleased to publish the draft of the following amendment rules with a view to further amend the Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) Rules 2012;

The Governor directs that the stakeholders and general public likely to be affected by this notification may, within 30 days of publication of this notification in official gazette forward any representation and objections related to this notification to Secretary, Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department, Government of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun, 248001;

The Governor also directs that no representation and objections after the said time period shall be accepted.

Provisional Notification

Draft of the Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) (Amendment) Rules, 2025

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called The Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) (Amendment) Rules, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Schedule-IV, VI and IX

2. In the Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012, in Schedules IV, VI and IX, for the entries given in column-1, the entries given in column-2 shall be substituted, namely:-

Schedule- IV

[See rule-11 (4) & (5)]

License issuance and license renewal fee for manufacturers, repairers and dealers of weights and measures.

1-Issue of licence/renewal of licence to:

Details	column-1 Fee (Rs.)	column-2 Fee (Rs.)
Manufacturers	500.00 per year	10000.00 per year
Repairers	100.00 per year	5000.00 per year
Dealers	100.00 per year	3000.00 per year

2- Alteration of license:

Details	column-1 Fee (Rs.)	column-2 Fee (Rs.)
Manufacturers	250.00 per year	500.00 per year
Repairers	50.00 per year	500.00 per year
Dealers	50.00 per year	500.00 per year

3- Issue of duplicate license:

Details	column-1 Fee (Rs.)	column-2 Fee (Rs.)
Manufacturers	250.00 per year	500.00 per year
Repairers	50.00 per year	200.00 per year
Dealers	50.00 per year	500.00 per year

Schedule- VI

[See rule-11 (8)]

Security deposit to be made by licencee, repairer

Repairer of weights and measures including weighing and measuring instruments.

column-1	column-2
Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
2000.00	10000.00

Schedule-IX

(See Rule 17)

Fee payable for verification and stamping of weights and measures and weighing and measuring instruments

1. (a) Bullion Weights:

Denomination	column-1 Fee per piece (Rs.)	column-2 Fee per piece (Rs.)
10 kg	30.00	100.00

5 kg	20.00	50.00
2 kg	20.00	50.00
1 kg	20.00	50.00
500 g	15.00	40.00
200 g	15.00	40.00
100 g	15.00	40.00
50 g	15.00	40.00
20 g	15.00	40.00
10 g	15.00	40.00
5 g	15.00	40.00
2 g	15.00	40.00
1 g	15.00	40.00

(b) Carat Weights:

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
100g (500 c)	20.00	50.00
40g (200 c)	20.00	50.00
20g (100 c)	20.00	50.00
10g (50 c)	20.00	50.00
4g (20 c)	20.00	50.00
2g (10 c)	20.00	50.00
1g (5 c)	20.00	50.00
400mg (2 c)	20.00	50.00
200mg (1 c)	20.00	50.00
100mg (0.5 c)	20.00	50.00
40mg (0.2 c)	20.00	50.00
20mg (0.1 c)	20.00	50.00
10mg (0.05 c)	20.00	50.00
4mg (0.02 c)	20.00	50.00
2mg (0.01 c)	20.00	50.00
1mg (0.005c)	20.00	50.00

(c) Cylindrical knob type weights:

	column-1	column-2

Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
10 kg	20.00	50.00
5 kg	20.00	50.00
2 kg	15.00	40.00
1 kg	10.00	30.00
500 g	5.00	15.00
200 g	5.00	15.00
100 g	5.00	15.00
50 g	5.00	15.00
20 g	5.00	15.00
10 g	5.00	15.00
5 g	5.00	15.00
2 g	5.00	15.00
1 g	5.00	15.00

(d) Sheet metal Weight (other than Bullion)

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
500 mg	5.00	15.00
200 mg	5.00	15.00
100 mg	5.00	15.00
50 mg	5.00	15.00
20 mg	5.00	15.00
10 mg	5.00	15.00
5 mg	5.00	15.00
2 mg	5.00	15.00
1 mg	5.00	15.00

(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weights:

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
50 kg	25.00	60.00
20 kg	20.00	50.00
10 kg	20.00	50.00
5 kg	20.00	50.00
2 kg	15.00	40.00
1 kg	10.00	30.00
500 g	5.00	15.00
200 g	5.00	15.00

100 g	5.00	15.00
50 g	5.00	15.00
20 g	5.00	15.00
10 g	5.00	15.00
5 g	5.00	15.00
2 g	5.00	15.00
1 g	5.00	15.00

(f) Standard weights for testing of high capacity weighing machines:

	column-1	column-2	column-1	column-2
Denominations	Fee corresponding to Max permissible relative error 0.5/10000 in Rs.	Fee (Rs.)	Fee corresponding to Max permissible relative error 3.3/10000, 1.7/10000 and 1.0/10000 in Rs.	Fee (Rs.)
100 kg	75.00	150.00	50.00	100.00
200 kg	150.00	300.00	100.00	200.00
500 kg	300.00	600.00	200.00	400.00
1000 kg	750.00	1500.00	500.00	1000.00
2000 kg	1500.00	3000.00	1000.00	2000.00
5000 kg	3000.00	5000.00	2000.00	4000.00

2–Capacity Measures:

	column-1	column-2
100 litre and above	Rs. 50 for the Ist 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of Rs. 5000	Rs. 100.00 for the Ist 100 litre plus Rs. 12.00 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of Rs. 5000
50 l	50.00	100.00
20 l	20.00	50.00
10 l	20.00	50.00
5 l	10.00	20.00
2 l	10.00	20.00
1 l	10.00	20.00
500 ml	10.00	20.00
200 ml	10.00	20.00
100 ml	10.00	20.00
50 ml	10.00	20.00
20 ml	10.00	20.00

10 ml	10.00	20.00
5 ml	10.00	20.00
2 ml	10.00	20.00
1 ml	10.00	20.00

3-Length Measures:

(a) Non-Flexible-

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
2 m	10.00	30.00
1 m	10.00	30.00
0.5 m	20.00	50.00
1 m graduated (at every cm)	20.00	50.00
0.5 m graduated (at every cm)	20.00	50.00

(b) Fabric Plastic/Woven/Steel tapes-

	column-1	column-2
Accuracy Class	Fee per metre in Rs.	Fee per meter (Rs.)
Class-I	1.00	3.00
Class-II	2.00	4.00
Class-II	0.50	2.00

(C) Folding Scales-

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs)	Fee per piece (Rs.)
1 m	10.00	40.00
0.5 m	10.00	40.00

(d) Surveying chain-

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
30 m	100.00	500.00
20 m	100.00	500.00

4-Beam Scale Class A & B:

	column-1	column-2

Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
200 kg	400.00	1000.00
100 kg	300.00	800.00
50 kg	150.00	400.00
20 kg	150.00	400.00
10 kg	150.00	400.00
5 kg	100.00	300.00
2 kg	100.00	300.00
1 kg	100.00	300.00
500 g and below	60.00	200.00

5-Beam Scales Class C & D:

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
1000 kg	200.00	500.00
500 kg	200.00	500.00
300 kg	200.00	500.00
200 kg	100.00	300.00
100 kg	100.00	300.00
50 kg	20.00	50.00
20 kg	20.00	50.00
10 kg	20.00	50.00
5 kg	15.00	40.00
2 kg	15.00	40.00
1 kg	15.00	40.00
500 g and below	10.00	40.00

6–Non-Automatic Weighing Instrument-Mechanical (analogue) Class III & IV:

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
400 t	4000.00	5000.00
300 t	3000.00	5000.00
200 t	3000.00	5000.00
150 t	2000.00	4000.00
100 t	2000.00	4000.00
80 t	2000.00	4000.00
60 t	2000.00	4000.00
50 t	2000.00	4000.00
40 t	2000.00	4000.00
30 t	2000.00	4000.00
25 t	2000.00	4000.00

20 t	2000.00	4000.00
15 t	2000.00	4000.00
10 t	1000.00	2000.00
5 t	500.00	1500.00
3 t	400.00	1500.00
2 t	400.00	1500.00
1500 kg	300.00	1000.00
1000 kg	300.00	1000.00
500 kg	300.00	800.00
300 kg	200.00	500.00
250 kg	200.00	500.00
200 kg	100.00	300.00
150 kg	100.00	300.00
100 kg	100.00	300.00
50 kg	100.00	300.00
30 kg	100.00	300.00
25 kg	60.00	200.00
20 kg	60.00	200.00
15 kg	30.00	100.00
10 kg	30.00	100.00
5 kg	30.00	100.00
3 kg	30.00	100.00
2 kg	30.00	100.00
1 kg	25.00	50.00
500 g and below	15.00	50.00

7- Non- Automatic weighing Instruments-Electronic Class III & IV:

	column-1	column-2
Denomination	Fee per piece (Rs.)	Fee per piece (Rs.)
400 t	4000.00	5000.00
300 t	3000.00	5000.00
200 t	3000.00	5000.00
150 t	2000.00	5000.00
100 t	2000.00	5000.00
80 t	2000.00	5000.00
60 t	2000.00	5000.00
50 t	2000.00	5000.00
40 t	2000.00	5000.00
30 t	2000.00	5000.00
25 t	2000.00	5000.00
20 t	2000.00	5000.00
15 t	2000.00	5000.00

10 t	1000.00	3000.00
5 t	1000.00	3000.00
3 t	500.00	3000.00
2 t	500.00	3000.00
1500 kg	250.00	3000.00
1000 kg	250.00	3000.00
500 kg	250.00	800.00
300 kg	200.00	500.00
250 kg	200.00	500.00
200 kg	200.00	500.00
150 kg	200.00	500.00
100 kg	200.00	500.00
50 kg	200.00	500.00
30 kg	200.00	300.00
25 kg	200.00	300.00
20 kg	100.00	300.00
15 kg	100.00	200.00
10 kg	100.00	200.00
5 kg	100.00	200.00
3 kg	100.00	200.00
2 kg	100.00	200.00
1 kg	100.00	200.00
500 g and below	100.00	200.00

8 (i) Not Automatic weighing instruments both mechanical and electronics class I & II:

	column-1	column-2
Capacity	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
Exceeding 50 t	3000.00	5000.00
Not Exceeding 50 t but Exceeding 10t	2000.0	5000.00
Not Exceeding 10t but Exceeding 1 t	1000.00	3000.00
Not Exceeding 1 t but Exceeding 50 kg	500.00	1000.00
Not Exceeding 50 kg but Exceeding 10 kg	250.00	500.00
Not Exceeding 10 kg	200.00	500.00

8--(ii)-Automatic weighing Instrument:

	column-1	column-2
Capacity	Fee in Rs.	Fee (Rs.)
Exceeding 100 t	4000.00	5000.00
Not exceeding 100t but exceeding 50t	3000.00	4000.00

Not exceeding 50t but exceeding 10t	2000.00	3000.00
Not exceeding 10t but exceeding 1t	1000.00	2000.00
Not exceeding 1t but exceeding 50 kg	500.00	1000.00
Not exceeding 50 kg but exceeding 10 kg	250.00	500.00
Not exceeding 10 kg	200.00	500.00

9- Volumetric measuring instruments:

	column-1	column-2
Type	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
(a) Dispensing pumps each pump	Rs. 1000.00 per unit	2000.00 per unit
(b)Totalizing counter	Rs. 500.00 per unit	1000.00 per unit

(c) Other instrument :

	column-1	column-2
Capacity	Fee in (Rs.)	Fee (Rs.)
Exceeding 100 litre	Rs. 500 for the Ist 100 litres plus Rs. 250 for every additional 100 litre or part thereof	Rs. 750 for the Ist 100 litres plus Rs. 300 for every additional 100 litre or part thereof
Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre	500.00	750.00
Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre	250.00	600.00
Not exceeding 20 litre	200.00	500.00

10- Flow meters:

	column-1	column-2
Capacity	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
Flow rate up to 100 litre/min.	Rs. 2000.00	4000.00
Flow rate above 100 litre/min upto 500 litre/min	Rs. 3000.00	5000.00
Flow rate above 500 litre/min	Rs. 5000.00	5000.00

11-Linear Measuring Instrument:

	column-1	column-2
Type	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
Taxi, Autorickshaw meters	Rs. 100.00	500.00
Other	Rs. 50 for the Ist 1000 m. or	Rs. 75.00 for the Ist 1000 m. or part

meters	part there of Plus Rs. 5.00 for every additionla 100 m or part thereof	there of Plus Rs. 5.00 for every additionla 100 m or part thereof

12- Clinical Thermometer

	column-1	column-2
Type	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
Clinical Thermometer	0.50 per unit	5.00 per unit

13- Water meter

	column-1	column-2
Type	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
Water Meter	25.00 per unit	50.00 per unit

14- Peg Measure:

	column-1	column-2
Capacity	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
30 ml	50.00	100.00
60 ml	50.00	100.00
100 ml	50.00	100.00

15- CNG Dispensers:

	column-1	column-2
Type	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
CNG Dispensers:	1000.00 per unit	2000.00 per unit

16- LPG Dispensers:

	column-1	column-2
Type	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
LPG Dispensers:	1000.00 per unit	2000.00 per unit

17- Counter Machine

	column-1	column-2
Capacity	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)
Up to 10 kg	20.00 per unit	100.00 per unit
Above 10 kg	50.00 per unit	200.00 per unit

06/8/25

(L Fanai)

Principal Secretary